आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 169/14–15

सुगापति देवी वनाम् मुनारीक यादव एवं अन्य

आदेश

24.07.17- आवेदिका सुगापति देवी पति श्री बाबुलाल पासवान, ग्राम–सेलारपुर, पोस्ट–मुरारी , थाना–करपी, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का मापी कराकर पीलरींग करने, अधिकारों का प्रख्यापन करने एवं दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–सेलारपुर थाना – करपी, जिला–अरवल में अवस्थित है निम्न है:–

तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा	चौहद्दी
8657	01	727	10 डी० में 5 डी० जानिब पश्चिम तरफ	उत्तर–शशि यादव, दक्षिण–वादिनी,पूरब–हाजा प्लॉट मकान, पश्चिम–कृष्णा यादव व वीरा यादव

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। तदनुसार अनुसेवी से नोटिस तामिला कराया गया। विपक्षी नं 02 उपस्थित हुए और नोटिस तामिला संपुष्ट की गई और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदिका ने दिनांक 23.11.1976 से दुखन यादव से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी प्राप्त की है।

(2) उपरोक्त वर्णित 10 डी० भूमि पर जानिब पूरब तरफ वादिनी का मकान निर्मित है, जिसमें सपरिवार निवास कर रही है।

(3) विवादित भूमि वेलगान है।

(4) विवादित भूमि के पश्चिम वादिनी का बॉस का कोठी लगा हुआ है जिसमें जानवर बॉधना का काम करती है एवं धूल गनौरा फेकती है तथा नाली का पानी इसी भूमि में गिरता है।

(5) विपक्षीगण बिना कोई आधार के प्रश्नगत् भूमि में लगे बॉस की कोठी तथा भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत दावा कर रहे है जिसे विवादित भूमि पर विवाद एवं तनाव कायम

है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि विपक्षीगण को दिनांक 21.09.1978 ई० को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है, जिसपर शांति पूर्वक दखल काबिज होकर अपने सकुनत के अनुसार उपयोग करते चले आ रहे है।

(2) विवादित भूमि में विपक्षी 03 बॉस का कोठी लगाये हुए है तथा जानवर बॉध कर खिलाने का काम करते है जिसपर नॉद, खुंटा, बॉधे हुए है तथा साथ ही साथ धूल गनौरा भी फेकते है।

(3) आवेदिका ने अपने मूल आवेदन में दिनांक 23.11.1976 ई० में दुखन यादव से 10 डी० खरीद करने का उल्लेख किया है जबकि वसिका पर 15 डी० भूमि अंकित है। जबकि विवादित भूमि का कुल रकवा 9 डी० है जिसका मिलान धारा 145 द० प्र० सं० में दिनांक 24.02.1939 में पारित आदेश से किया जा सकता है।

(4) आवेदिका ने नन राईट, टाईटिल, पोजिशन होल्डर व्यक्ति से जमीन विपक्षीगण से दो वर्ष वाद क्रय कर विवाद उत्पन्न किये हुए है।

(5) विवादित भूमि को लेकर किसी प्रकार का कोई धटना नही धटी है और ना ही आवेदन में धटना का उल्लेख किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 23.11.76 के केवाला के आधार पर किया है जो उन्हें दुखन यादव पिता विशुन यादव से प्राप्त है जबकि उसी भूमि में विपक्षीगण के पिता डोमन यादव ने आवेदिका के क्रय करने के पूर्व दिनांक 21.07.2014 को 9 डी० भूमि क्रय किया था। साथ ही दिनांक 24.02.1939 को द० प्र० सं० 145 में पारित आदेश के अनुसार प्लॉट नं० 787 का कुल रकवा मात्र 9 डी० है। उपरोक्त परिस्थिति में आवेदिका के अनुतोष को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

24.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

24.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।